under constant watch and is reviewed closely on an ongoing basis. A comprehensive review was undertaken by the Home Minister on 19th July, 1994 in a meeting with the Governor of Manipur and Chief Ministers of North-Eastern States at New Delhi.

The Minister of State (Internal Security) also reviewed the security related matters in a meeting at Shillong on 28/10/94. At the official level the situation was reviewed in the 4th meeting of the North East Regional Security Coordination Conference held at Shillong on 28/10/94. After detailed discussions in these reviews a number of decisions were taken which inter-alia include strengthening of State Police Force, more effective coordination of counter-insurgency operations, improvement and upgradation of intelligence collection and sharing etc. Steps taken by the Government include continuation of declaration of certain States/ areas as "disturbed areas", declaring the insurgent groups as "unlawful associations", induction of Security Forces etc.

Central assistance in combating terrorism

474. SHRI GUNDAPPA KORWAR: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) the Central assistance sought by each State Government during the current year for combating terrorism;, and

(b) the assistance provided by the Union Government to far?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRl P. M. SAYEED): (a) and (b) Proposals for central financial assistance to combat terrorism during the current year 1994-95 have been received only from the Governments of Himachal Pradesh and Bihar, for Rs. 2.67 crores and Rs. 12.86 crores respectively. No assistance has been released, since full information has not been received from Bihar and full information from Himachal Pradesh has been made available very recently.

Charges against Bombay Bomb blast accused

475. SHRI K. R. MALKANI: Will the Minister of HOME AFFAIRS be pleased to state:

(a) what were the initial charges against the Bombay serial bomb blast accused;

(b) what are the charges against them now; and

(c) whether there has been whittling down of charges as reported in the Indian Express of 1st July, 1994 and The Pioneer of 8th January. 1995?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRl RAJESH PILOT): (a) On conclusion of investigation a Chargesheet was filed against the accused for the offences punishable U/s 120-B and 120 (B) r/w Sees. 324, 326, 427, 435; 121; 121-A; 122; 307; 302; 201 of the Indian Penal Code r/w Sees. 3, 4, 5 of the Terrorist & Disruptive Activities (Prevention) Act, 1987 r/w Sec- 3, 7 (a) 25 (1AA) 26, 29, 35 Arms Act r/w Sees- 3; 4; 5 and 6 of the Explosive Substances Act r/w Sees 4 of the Prevention of Damage to Public Properties Act.

(b) The Court has yet to frame charges against the accused persons.

(c) In view of (b) above the question does not arise.

दिल्ली में अपराध

476. श्री इकबाल सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत दो वर्ष के दौरान दिल्ली में अपहरण, हत्या, डकैती, लटपाट, चोरी और बलात्कार की कितनी घटनायें हुई ;

(ख) उक्त मामलों में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है तथा कितने व्यक्तियों को आरोप-पत्र देकर उनके विरुद्ध मुकदमें की कार्यवाही शुरू की की गई है; और

(ग) सरकार ने देश की राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को सुदृढ़ करने के लिए क्या प्रभावी कदम उठाए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) और (ख) पिछले दो वर्षों अर्थात् 1993 तथा 1994 के दौरान अपहरण, हत्या, डकैती, लूट, चोरी तथा बलात्कार की दर्ज की गई घटनाओं की संख्या तथा उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हें गिरफ्तार किया और जिनका चालान किया गया तथा जिनके विरुद्ध अभियोजन चलाया गया, संलग्न विवरण (नीचे देखिए) में दी गई है

(ग) दिल्ली में अपराध रोकने के लिए सरकार ने अनेक उपाय किए हैं। इनमें महत्वपूर्ण स्थलों पर पिकेट्स स्थापित करना, आसूचना तंत्र को मजबूत करना, अपराधियों के छिपने के ठिकानों पर छापे मारना, चौकसी में बढ़ौत्तरी करना, पड़ौसी राज्यों के अधिकारियों के साथ समन्वय बैठकें करना, पुलिस अधिकारियों को आधुनिक हथियारों के प्रयोग करने का प्रशिक्षण देना, जांच के वैज्ञानिक तरीकों की जानकारी देना, संचार नेट-वर्क का आधुनिकीकरण करना आदि शामिल हैं।

विवरण

	दर्ज किए गए मामलों की संख्या		गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या		चालान किए गए व्यक्तियों की संख्या	
	1993-94		1993	1994	1993	1994
1. अपहरण	636	784	401	458	352	314
2. हत्या	493	492	836	725	827	579
3. डकैती	27	19	112	78	108	64
4. लूट	269	347	293	357	248	262
5. चोरी	13154	13490	6702	6442	5707	3942
6. बलात्कार	315	309	441	432	418	339

दिल्ली वित्त निगम संबंधी लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

477. श्री मोहम्मद अफ़ज़ल उर्फ शीम अफ़ज़ल : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) क्या सरकार को दिल्ली वित्त निगम, नई दिल्ली के बारे में 21 जून, 1993 के उस लेखापरीक्षा-प्रतिवेदन की जानकारी है; जिसमें दो करोड़ रुपए के घोटाले की बात कही गई है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) तत्संबंधी पूर्ण ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी. एम. सईद) : (क) जी हां, श्रीमान्। (ख) और (ग) आंध्र बैंक फाइनेंशियल सर्विसिज लिमिटेड द्वारा 200 लाख रुपए की मूलधन राशि का भुगतान कार्पोरेशन को कर दिया गया है। कार्पोरेशन द्वारा यह [illegible] लिया गया है कि ए.बी.एफ.एस.एल. द्वारा इस राशि पर कार्पोरेशन को देय ब्याज का भुगतान तब ही किया जायेगा जब ए.बी.एफ.एस.एल. के वित्तीय लोन इस प्रकार के सभी इन्टर-कार्पोरेट जमा धारकों को भुगतान